फर्द अहकाम

जगदीश व अन्य बनाम बद्रीनारायण वगैरा

वाद पत्र संख्याः 187/2020

2020/00574

क्र. संख्या	दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	16.04.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। अप्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 6 की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गई। प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में लिखित बहस पेश की जा चुकी है। बहस प्रार्थीगण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा भूमि साबिका खसरा नम्बर 171/3 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा से नवीन खसरा नम्बर 262 रकबा 0.8800 हैक्टेयर, 263 रकबा 0.3600 हैक्टेयर एवं 341/449 रकबा 0.1500 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.39 हेक्टेयर भूमि स्थित ग्राम बदनपुरा तहसील सांगानेर, जिला जयपुर पर प्रार्थीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व से ही अपने हकपूर्वाधिकारी स्व. श्री नानगा पुत्र स्व. श्री भगता बलाई के समय से ही विधिवत काबिज होकर बहैसियत खातेदार काश्तकार काश्त करते चले आ रहे। प्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय के समक्ष विवादित भूमि साबिका खसरा नम्बर 171/3 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा की खेवट खतौनी सम्बत 2017 प्रस्तुत की है जिसकी खतौनी संख्या 14 के कॉलम संख्या 5 नाम कृषक विवरण सहित के कॉलम में प्रार्थीगण के पिता स्व. श्री नानगा का नाम बहैसियत खातेदार अंकित है तथा खसरा गिरदावरी सम्वत 2008 से 2012 में स्व. श्री नानगा का नाम काश्तकार के कॉलम में अंकित है तथा खसरा गिरदावरी सम्वत 2018 से 2021 में उक्त खसरा नम्बर 171/3 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा के कॉलम संख्या 6 नाम उप– कृषक विवरण सहित तथा कृषि के कॉलम में प्रार्थीगण के पिता स्व. श्री नानगा का नाम बहैसियत खातेदार काश्तकार अंकित है। विशेष विवरण के कॉलम में भी नानगा का नाम अंकित है। इसी प्रकार खसरा गिरदावरी सम्वत 2029, 2030, 2031 में भी प्रार्थीगण के पिता स्व. श्री नानगा का नाम अंकित है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के हकपूर्वाधिकारी स्व. श्री मोहरू पुत्र श्योराम ने सम्वत 2017 के खेवट खतौनी में प्रार्थीगण के पिता के नाम के नीचे अपना नाम "खुदकाश्त मोहरू बदस्तूर" अंकित करवा लिया। उक्त दस्तावेज खेवट खतौनी के रिमार्क्स कॉलम के खाना संख्या 16 में नानगा पुत्र भगता कौम बलाई के आगे नामातंकरण संख्या 7 हक खातेदारी एवं मोहरू के नाम के आगे नामांतकरण संख्या 8 दफा खातेदारी 19 तारीख फैसला 7–9–1960 अंकित है। प्रार्थीगण विवादित भूमि खसरा नम्बर 171/3 पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभावी होने से पूर्व से ही काबिज काश्त चले आ रहे हैं। अप्रार्थी संख्या ... हकपूर्वाधिकारी स्व. श्री मोहरू ने उक्त भूमि को ... षड्यंत्र कर अपने नाम अंकित करवाकर उक्त भूमि को एक नुमाइशी विक्रय पत्र द्वारा अप्रार्थिया संख्या 3 लगायत 6 को विक्रय कर दिया। ... क्रेतागण द्वारा प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों में हस्तक्षेप किया जाने लगा तब उनके द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष यह वाद एवं आवेदन अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया है। माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वाद एवं	

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 13:15:56 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

आवेदन अस्थाई निषेधाज्ञा को माननीय न्यायालय ने दिनांक 11-8-2020 को दर्ज कर अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को नोटिस प्रसारित किए। बार-बार नोटिस प्राप्त करने के उपरांत भी जब अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहे तब दिनांक 4-1-2022 को अप्रार्थीगण को जरिए पंजीकृत डाक/नोटिस से तलब किया, किंतु फिर भी अप्रार्थीगण माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए तब माननीय न्यायालय ने दिनांक 14-2-2022 को विवादित भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 262, 263, 3416449 कुल किता 3 कुल रकबा 1.39 हैक्टेयर के राजस्व भू-अभिलेखों एवं मौके की तत्कालीन यथास्थिति कायम रखने का आदेश पारित कर पुनः उक्त आदेश एवं वाद के नोटिस प्रसारित किए। माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद एवं आवेदन अस्थाई निषेधाज्ञा का अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एवं 1 के विधिक उत्तराधिकारियों ने कोई खण्डन नहीं किया और ना ही वे बावजूद तामील कभी माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित ही हुए। अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 6 ने ही माननीय न्यायालय के समक्ष जवाब देही प्रस्तुत की है जिसमें उन्होंने अपने आपको सद्भावी क्रेता होना जाहिर व अंकित किया है जबकि वास्तविकता में विवादित भूमि पर विक्रेता का कोई कब्जा काश्त नहीं रहा था और ना ही क्रेतागण का ही विवादित भूमि पर कोई कब्जा काश्त है। ऐसी परिस्थिति में अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 6 को ना तो विवादित भूमि का सद्भावी कृषक और ना ही सद्भावी क्रेता होना माना जा सकता है। इसके विपरीत प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारी का नाम राजस्व भू-अभिलेखों में अंकित है जिसे विलोपित किए जाने के संदर्भ में किसी भी सक्षम न्यायालय का कोई आदेश नहीं है ना ही अप्रार्थीगण द्वारा ही अपनी जवाब देही में इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण ही अंकित किया गया है। उपरोक्त तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्य एवं परिस्थितियों के तहत प्रार्थीगण का प्रबल प्रथम दृष्टया वाद संदेह से बाहर सिद्ध है।माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण का वाद बाबत घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु विचाराधीन है और माननीय न्यायालय ने दिनांक 14-2-2022 को अप्रार्थीगण के विरुद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा भी प्रसारित कर रखी है जिसकी वजह से विवादित सम्पत्ति सुरक्षित है इसलिए उक्त पूर्व प्रसारित अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश को वाद में अंतिम निर्णय होने तक निरंतर किया जाना आवश्यक है। लिखित बहस के संबंध में प्रार्थी अधिवक्ता ने कानूनी नजीरे पेश की जो पत्रावली में शामिल पत्रावली है।

अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 6 की ओर से लिखित बहस इस प्रकार है कि प्रार्थीगण जागीर के समय अथवा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने के समय राजस्व रिकॉर्ड में बहैसियत खातेदार काबिज नही रहे। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज खतौनी बंदोबस्त सम्वत 2008-2023 में खसरा नम्बर 171/3 मोहरू पुत्र श्योराम, जाति जाट की खातेदारी में अंकित हो [illegible] इस तथ्य को प्रार्थीगण ने न्यायालय से छिपाया [illegible] खेवट खतौनी सम्वत् 2017 का वर्णन किया है वह भी गलत [illegible] है वह खेवट खतौनी सम्वत 2017 में बनी ही नही, उनके [illegible] सम्वत् 2013-2014 की खसरा गिरदावरी प्रस्तुत की गई है उसमें सर्वप्रथम खसरा नम्बर 171/1 में कृषक कॉलम में मोहरू का नाम अंकित है, खसरा नम्बर 171/2 व 171/3 के आगे वशरह सदर अंकित है अर्थात् जो ऊपर प्रविष्टि है

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 13:15:56 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

वही खसरा नम्बर 171/3 के आगे मानी जायेगी। तत्पश्चात उनके द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरी सम्वत् 2015–2018 में भी उपरोक्त इन्द्राज अंकित है जिस नानगा का वर्णन प्रार्थीगण करते है उसका नाम खसरा नम्बर 171/2 में लिखा हुआ है जिसके सम्बन्ध में प्रार्थीगण का कोई क्लेम नही है। खसरा नम्बर 171/3 में नानगा का कोई नाम उल्लेखित नही है, इस गिरदावरी के कॉलम नम्बर 16, 24 व 32 में खसरा नम्बर 171/1 के आगे नानगा का नाम अंकित है, खसरा नम्बर 171/3 में उपरोक्त शब्द लिखा लिखा हुआ है अर्थात् दन कॉलमों में खातेदार की तरफ से बतौर श्रमिक किसके द्वारा काश्त की गई है उल्लेखित है। उप–कृषक के रूप में नाम कॉलम नम्बर 6 में कही भी अंकित नही है, इस तरह प्रार्थीगण का कथन उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तोवजों से ही विरोधाभासी साबित है। इस आधार पर प्रार्थीगण कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है। जहां तक खसरा गिरदावरी सम्वत् 2018–2021 का प्रश्न है वें भी प्रार्थीगण को कोई मदद नही करती क्योंकि प्रार्थीगण का जो क्लेम है वह जागीर रिज्मशन के समय और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने के समय खातेदार अंकित होने के आधार पर है। जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 अर्थात् सम्वत् 2009 में प्रभाव में आया एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अर्थात् सम्वत् 2012 में प्रभाव में आया, इस तत्कालीन समय के किसी भी दस्तावेज में प्रार्थीगण ना तो बतौर खातेदार और ना ही उप–कृषक के रूप में अंकित है। प्रार्थीगण ने मोहरू पुत्र श्योराम के बारे में जो कथन किया है कि सम्वत् 2017 की खेवट खतौनी में प्रार्थीगण के पिता के नाम के नीचे खुदकाश्त मोहरू बदस्तूर अंकित करवा लिया, यह कथन भी असत्य अंकित किया है क्योंकि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत खतौनी बंदोबस्त 2008–2023 में ही मोहरू पुत्र श्योराम का नाम अंकित है जो सम्वत् 2017 से काफी समय पूर्व से ही अंकित चला आ रहा है। मोहरू पुत्र श्योराम जाट का नाम सम्वत् 2008 में ही बतौर खातेदार अंकित चला आ रहा है। तत्समय ना तो जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम प्रभाव में आया था, ना ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आया था अर्थात् मोहरू पुत्र श्योराम इन दोनों कानूनों के पूर्व से ही बतौर खातेदार भूमि का उपयोग कर रहा है और एक खातेदार काश्तकार को अपने स्वेच्छानुसार भूमि को हस्तान्तरित करने का पूर्ण अधिकार धारा 39, 40 व 41 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में दिये हुये है। प्रार्थीगण को इन हस्तान्तरणों के प्रति अन्यथा कथन करने का कोई हस्तक्षेप नही है। अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 6 तथा उनसे पूर्व मोहरू पुत्र श्योराम एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 बतौर खातेदार काबिज चले आ रहे है और आज भी भूमि का उपयोग–उपभोग कर रहे है, जबकि प्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि से [illegible] सम्बन्ध नही रहा। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में [illegible] 60 वर्ष तक प्रार्थीगण द्वारा अपना कोई अधिकार [illegible] न्यायालय से नही मांगा गया। यह निर्विवाद [illegible] है कि एक खातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा [illegible]ती है, यह कि प्रार्थीगण ने अपनी लिखित बहस में अधिकार धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत मांगे है अर्थात् उप–कृषक के रूप में अधिकारों की मांग की है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 41 में उप–कृषक की परिभाषा के अनुसार प्रार्थीगण को स्वयं को

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 13:45:56 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
[illegible] (द्वितीय)

खुदकाश्त का टिनेन्ट अथवा अपना टिनेन्ट इन चीफ कौन है बत आवश्यक है, इन दोनों ही प्रावधानों के अनुसार प्रार्थीगण ने अपना क्लेम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किया है, ऐसी स्थिति में आधार पर भी प्रार्थीगण का वाद चलने योग्य नही है। प्रार्थीगण न्यायालय द्वारा जारी रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति सम्बन्धी आदेश कायम रखने का वर्णन किया है, इस आज्ञा के वर्षो पूर्व ही भूमि हस्तान्तरण वर्ष 2006 में ही हो चुका था और क्रेतागण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित हो चुका था, ऐसी स्थिति में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध एकपक्षीय आदेश भी प्रार्थीगण को कोई मदद नही करता। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रार्थीगण के कथनों के खण्डन करने की ना तो कोई आवश्यकता थी और ना ही प्रार्थीगण को कोई लाभ मिलता है वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में उनके हित व अधिकार विक्रय-पत्र के पश्चात् वर्ष 2006 में समाप्त हो चुके थे। सन् 2006 के पश्चात् अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 6 व इससे पूर्व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 तथा उनके हकपूर्वाधिकारी मोहरू पुत्र श्योराम काबिज रहकर उपयोग-उपभोग करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण वाद दायरी के समय तथा इससे पूर्व कभी भी वादग्रस्त भूमि पर काबिज नही रहे, ना ही वर्तमान में है, कब्जे के अभाव में भी प्रार्थीगण न तो कोई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है, ना ही उनके पक्ष में कोई प्रथम दृष्टया मामला बनता है। प्रार्थीगण ने अपने कब्जे के बारे में वाद दायरी के समय का कोई दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किया है। प्रथम दृष्टया वाद व कब्जे के अभाव में प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र खारिज किये जाने योग्य है। दिनांक 14.02.2022 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा एकपक्षीय जारी की है जो अप्रार्थीगण को बिना सुनवाई के दिये ही प्रदान की गई है वह वाद के निर्णय तक किसी भी प्रकार से निरन्तर (कन्फर्म) किये जाने योग्य नही है।

बहस उभपक्षकारान व पत्रावली में सलंग्न दस्तावेजा का अवलोकन करने पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने अथवा कन्फर्म करने करने से पूर्व तीन बिन्दूओं को सर्वप्रथम विचार करना होता है:- (1) प्रथम दृष्टया मामला (2) अपूर्णनीय क्षति (3) सुविधा का संतुलन

(1) प्रथम दृष्टया मामला:- प्रार्थीगण न तो भूमि के खातेदार काश्तकार है अभी वाद में उनकी स्थिति पूर्णरूप से संशयपूर्ण है, ऐसी स्थिति में उनके पक्ष में कोई प्रथम दृष्टया मामला प्रमाणित नही होता है

(2) अपूर्णनीय क्षति:- प्रार्थीगण ना तो वादग्रस्त भूमि के खातेदार है, जहॉ तक कब्जे आदि का प्रश्न है मूल वाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर तय जाना है इस प्रकार प्रार्थीगण के पक्ष में यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जाती है तो उन्हें किसी प्रकार की क्षति कारित होने की सम्भावना नही है, इसके विपरित यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो अप्रार्थीगण को नुकसान होगा यदि अस्थाई निषेधाज्ञा की आड में वें इस भूमि पर कब्जा कर लेते है तो निश्चय ही अप्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी, यहां तक कि वे अपने कानूनी हित व अधिकारों से वंचित हो जायेगें।

(3) सुविधा का संतुलन:- चुंकि अस्थाई निषेधाज्ञा के लिए आवश्यक दो प्रमुख बिन्दू अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित है, ऐसी स्थिति में भी सुविधा

उप खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 13:15:56 IST
Reason: SelfAttested

का संतुलन अप्रार्थीगण के हित में साबित है।

उक्त तीनों बिन्दुओं पर विचार करने पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बावत अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बावत अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उप खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 13:15:56 IST
Reason: SelfAttested